अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान [भर्ती प्रकोष्ठ] ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [REERUITMENT CELL]

-सं.मि.2-4/2019-स्था. (भर्ती) No.F.2-4/2019-Estt.(RCT)

1

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 Ansari Nagar, New Delhi-29 दिनांक:

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

0 6 NOV 2019

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में आहार विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति । Subject:- Promotion to the post of Dietician at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 01.10.2019 को आहार विशेषज्ञ के पद हेतु विभागीय पदोन्नित समिति मीटिंग की सिफ़ारिंश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्निलिखित सहायक आहार विशेषज्ञ को पे मेटरिक्स के लेवल-7 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 रु.9300-34800 + रु.4600 ग्रेड पे) में आहार विशेषज्ञ के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on O1st October, 2019 and its acceptance by the Competent Authority, the following Assistant Dietician are promoted to the post of Dietician in the Level-7 of the Pay Matrix (pre-revised PB-2 Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs.4600) from the date they assume the charge of the post of Dietician:

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name	वर्तमान तैनाती/ Present Posting
1.	श्रीमित गुरदीप कौर शेट्टी / Ms. Gurdeep Kaur Shetty	अस्पताल / Hospital
2.	डॉ. वस्धरा मिश्रा / Dr. Vasudhra Misra	डॉ. आर.पी. सेन्टर / Dr. R.P. Centre
3.	श्रीमति जैसमीन कौर / Ms. Jasmine Kaur	सी.एन. ₌सेन्टर / C.N. Centre
4.	श्रीमति माला मनराल / Ms. Mala Manral	सी.एन. सेन्टर / C.N. Centre
5.	कमारी रिचा जैस्वाल / Ms. Richa Jaiswal	जे.पी.एन.ए., ट्रॉमा सेंटर / JPNATC

- \

उनकी वरिष्ठता आहार विशेषज्ञ के पद पर विभागीय पदोन्नित समिति की बैठक की तिथि अर्थात 01.10.2019 से प्रभावी होगी।

Their seniority in the post of Dietrcian will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 01.10.2019.

आहार विशेषज्ञ का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/ बढ्सा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी.. गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचरियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar, and NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future, from the date they assume the charge to the post of Dietician.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वितीय उन्निति प्रदान नहीं किया श्राया ।

-2-

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

आहार विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की पेशकश माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के समक्ष लंबित SLP के परिणाम या इस सम्बन्ध में DoPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Dietician is subject to outcome of the SLP pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी। Other terms and conditions of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

उनका स्थानांतरण /पोस्टिंग आदेश पत्र पृथक्ूसे जारी किया जाएगा। Their transfer/posting orders will be issued separately.

> [भिपिंदर सिंह गिल / Bhupinder Singh Gill] प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

सबन्धित ट्यक्ति/Persons concerned

दवारा: उनके संबन्धित चीफ़ / ऑफिसर इनचार्ज

Through: - Their respective Chief / Officer-in-Charge

प्रतिलिपि/Copy to:-

- चिकित्सा अधीक्षक, अस्पताल / सी.एन. सेन्टर / डॉ. आर.पी. सेन्टर / जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा सेन्टर 1) Medical Superintendent, Hospital / C.N. Centre / Dr. R.P. Centre / J.P.N.A Trauma Centre
- वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ, मेन् किचन,/Chief Dietician, Main Kitchen. 2)
- म्ख्य प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव // TPA to Chief Administrative Officer 3)
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल/सी.एन. सेन्टर/डॉ. आर.पी. सेन्टर/जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा सेन्टर 4) Senior Administrative/Administrative Officer - Hospital/C.N. Centre/Dr. R.P. Centre /J.P.N.A Trauma Centre
- स्थापना अन्भाग अस्पताल / सी.एन. सेन्टर / डॉ. आर.पी. सेन्टर / जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा सेन्टर 5) Establishment Section - Hospital / C.N. Centre / Dr. R.P. Centre / J.P.N.A Trauma Centre
- लेखा अनुभाग-II एवं III) सेन्टर, डॉ. आर.पी. सेन्टर //Accounts Section II & III/ C.N. Gentre Dr. F 6) Centre
- सामान्य अनुभाग/सम्पदा अन्भाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग 7) General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section
- सतर्कता प्रकोष्ठ/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ्र/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ 8) Vigilance Cell / ACR's Cell /SC/ST Cell
- संरक्षण मिसिल // Guard File 9)

Professor-in-charge Computer Facility - with the request to upload the same on Institute website.